



## प्रेस विज्ञप्ति

**02.06.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व मुख्य अभियंता गोविंद प्रसाद मेहरा और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 67.25 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(बी) के तहत गोविंद प्रसाद मेहरा के खिलाफ उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि 04.03.1985 से 29.02.2024 की अवधि के दौरान, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत गोविंद प्रसाद मेहरा ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय के अनुपात से अधिक संपत्ति अर्जित की। एफआईआर के अनुसार, लगभग 4 करोड़ रुपये की वैध आय के मुकाबले, 10 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति और व्यय का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति बनी, जो उनकी ज्ञात वैध आय से लगभग 150% अधिक है।

जांच एजेंसी द्वारा गोविंद प्रसाद मेहरा और उनके परिवार से जुड़े परिसरों पर की गई तलाशी में भारी मात्रा में नकदी, सोने के आभूषण, चांदी के गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बरामद और जब्त की गईं। जांच में पता चला कि गोविंद प्रसाद मेहरा से जुड़े विभिन्न परिसरों से 8.79 लाख रुपये नकद और लगभग 3.51 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए गए। इन संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण निराधार और विश्वसनीय साक्ष्यों से रहित पाए गए।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह भी पता चला कि गोविंद प्रसाद मेहरा और उनके परिवार ने नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर तहसील के सैनी गांव में लगभग 70-72 एकड़ भूमि पर फैले कस्तूरी कृषि फार्म का अधिग्रहण कर उसे एक आलीशान फार्म-रिसॉर्ट में बदल दिया था। इस फार्म-रिसॉर्ट में कॉटेज, आवासीय इकाइयां, आंतरिक सड़कें, कृत्रिम जल निकाय, कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा और अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं शामिल थीं। मूल्यांकन रिपोर्ट में संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 49.44 करोड़ रुपये आंका गया, जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपये के निर्माण और विकास कार्य भी शामिल हैं। संपत्ति के अधिग्रहण और विकास के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण असंगत पाए गए और दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं थे।

पीएमएलए जांच के दौरान, 67.25 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई, और इस संबंध में जानकारी पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत लोकायुक्त के विशेष कार्यकारी प्राधिकरण (एसपीई) के साथ साझा की जा रही है। तदनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत 67.25 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

संलग्न संपत्तियों में आवासीय संपत्तियां, कस्तूरी कृषि फार्म नामक एक आलीशान रिसॉर्ट जैसी संपत्ति शामिल है, जिसमें व्यापक रूप से विकसित भूमि, प्रीमियम कॉटेज, मनोरंजन सुविधाएं और संबद्ध अवसंरचनाएं, नकदी, सोने के आभूषण, चांदी की वस्तुएं और अपराध की आय और/या उसके मूल्य के रूप में पहचानी गई अन्य संपत्तियां शामिल हैं, ताकि उनके छिपाव, हस्तांतरण या निपटान को रोका जा सके और पीएमएलए के तहत ज़बती की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।